6. आयोग के अंगीकृत संकल्प

दिनॉक 12/04/2014 को लोक अदालत लगाये जाने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, की अध्यक्षता में दिनॉक 12/02/2014 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :

1. श्री एन0एस0 नपलच्याल, – मुख्य सूचना आयुक्त,
2. श्री विनोद नौटियाल, – राज्य सूचना आयुक्त,
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, – राज्य सूचना आयुक्त,
4. श्री प्रभात डबराल, – राज्य सूचना आयुक्त,
5. श्री राजेन्द्र कोटियाल, – राज्य सूचना आयुक्त,
6. श्री सुरेन्द्र सिंह रावत – राज्य सूचना आयुक्त,
7. श्री नरेन्द्र क्वीरियाल, – सचिव,
8. श्री त्रेपन्न सिंह बिष्ट – विधि अधिकारी,

1. National Legal Services Authority नई दिल्ली तथा मा0 मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश पर सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड स्टेट लीगल सर्विसेस अथारिटी, हाईकोर्ट नैनीताल के पत्रांक संख्या–933, दिनॉक 21/01/2014 के द्वारा अपेक्षा की गई है कि राज्य सूचना आयोग में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाए, इस सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिनॉक **12/04/2014 (शनिवार)** को नेशनल लोक अदालत के रूप में वाद सुने जाऐगें, इसके अतिरिक्त आगामी तिथियों में नियत वाद भी मा0 आयुक्तगणों के विवेक पर इस तिथि को नियत किये जा सकते हैं, तद्नुसार इसकी सूचना वादकारियों को दी जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह रावत राज्य सूचना आयुक्त	श्री राजेन्द्र कोटियाल राज्य सूचना आयुक्त	प्रभात डबराल राज्य सूचना आयुक्त,	अनिल कुमार शर्मा राज्य सूचना आयुक्त	विनोद नौटियाल राज्य सूचना आयुक्त	नृप सिंह नपलच्याल मुख्य सूचना आयुक्त

दिनॉक 29/07/2013 को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थिति–

1.	श्री एन0एस0 नपलच्याल,	–	मुख्य सूचना आयुक्त,
2.	श्री विनोद नौटियाल,	–	राज्य सूचना आयुक्त
3.	श्री अनिल कुमार शर्मा,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
4.	श्री प्रभात डबराल,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
5.	श्री राजेन्द्र कोटियाल	–	राज्य सूचना आयुक्त,
6.	श्री नरेन्द्र क्वीरियाल,	–	उप सचिव,

1. **मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के साथ एक बैठक आहूत हुई जिसमें कतिपय बिन्दुओं पर चर्चा की गई, चर्चा के दौरान उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली 2013 के कई बिन्दुओं पर विचार विर्मश किया गया, कुछ बिन्दुओं पर मा0 आयुक्त महोदयों द्वारा निम्न सुझाव दिए गएः–**

2. **सूचना प्राप्त करने की प्रकिया–**

नियम 5(च), अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीहकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोक 'सूचना' अधिकारी अनुरोधकर्ता को आवेदित 'सूचना' का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा अथवा लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा लिखित रूप में अथवा निरीक्षणोपरान्त 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक 'सूचना' अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रकिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी।

इस बिन्दु पर मा0 आयुक्त महोदयों द्वारा कहा गया कि प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करनेअनुरोधकर्ता/अपीलकर्ता को बहुत दूर–दूर से लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में आना पड़ेगा, जिसमें उनके समय के साथ–साथ धन की भी अपव्ययता होगी जो 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अवधारणा के विपरीत होगा।

3. **नियम 8(छ),** आवेदक द्वारा मागी गयी 'सूचना' आवेदक को 'सूचना' का चिन्ही करण स्पष्ट न होने के कारण न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को आवेदित 'सूचना' का स्पष्ट चिन्हीकरण लिखित रूप में करने हेतु अथवा लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क भुगतान करके निरीक्षण करके करने हेतु निर्देशित करेगा/ प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके आवेदक को दिये जाने के आदेश देगा।

इस बिन्दु में मा0 आयुक्त महोदयों द्वारा कहा गया कि/प्रथम अपील के प्रश्नगत निर्धारित शुल्क का भुगतान न कर अपीलकर्ता को निःशुल्क निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित होगा।

नियम **9(पाँच),** इस बिन्दु के अंग्रेजी संस्करण में No other Authority shall be directed to inquire into any other issue during the disposal of the Second Appeal, in question. में No other के स्थान पर No other public Authority संसोधन किये जाने का सुझाव दिया गया।

5. **नियम 9(छ)**, द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आयोग उक्त के बाद अन्तिरिम निर्देश द्वितीय अपील में अर्न्तग्रस्त विषय से इतर विषय पर कार्यवाही के लिए निर्गत नहीं करेगा। द्वितीय अपील का निस्तारण अन्तिम रूप से यथासम्भव 90 दिन में तथा विलम्बतम 120 दिन में करेगा।

इस बिन्दु पर मा0 आयुक्त महोदयों द्वारा कहा गया कि अधिनियम में समय सीमा का कोई प्राविधान नही है फलस्वरूप इसे नियमावली में अन्दर प्राविधान किया जाना उचित नही है।

6. **नियम 9(दस)**, आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरूद्व अधिनियम की धारा 20 के अनुसार शास्ति आरोपण की कार्यवाही द्वितीय अपील के निस्तारण के आदेश के साथ प्रारम्भ की जायेगी। शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नहीं रखा जायेगा।

इस बिन्दु पर मा0 आयुक्त महोदयों द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई कि आयोग द्वारा किसी भी मामले में सम्यक विचारोपरान्त ही अनुरोधकर्ता/अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है उसके बाद स्पष्टीकरण का परीक्षण कर आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी पर धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाता है जहाँ तक शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नही रखा जाए सम्बन्धी उक्त नियम पर शासन को पुनर्विचार करने की आवश्यता है जो कि धारा 20 की कार्यवाही धारा 18 व 19 से ही सम्बन्धित है।

7. उपरोक्त के सम्बन्ध में राज्य सूचना आयोग को निर्देशित किया गया कि तत्काल मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित किया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(एन0एस0 नपलच्याल)	(विनोद नौटियाल)	(अनिल कुमार शर्मा)	(प्रभात डबराल)	(राजेन्द्र कोटियाल)
मुख्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त

दिनांक 18/09/2013 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में लिया गया संकल्पः

उपस्थिति :

1. श्री एन०एस० नपलच्याल,	–	मुख्य सूचना आयुक्त,
2. श्री विनोद नौटियाल,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
3. श्री अनिल कुमार शर्मा,		राज्य सूचना आयुक्त,
4. श्री प्रभात डबराल,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
5. श्री राजेन्द्र कोटियाल	–	राज्य सूचना आयुक्त,
6. श्री नरेन्द्र कोरियाल,	–	उप सचिव,
7. श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट	–	विधि अधिकारी,

बैठक में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

(1) इस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के आठ वर्ष पूर्ण होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आठ वर्ष के क्रियान्वयन के अनुभव एवं चुनौतियों पर एक कार्यशाला आयोजित किया जाए एवं जिसमें उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, एवं समस्त विभागाध्यक्षों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया इसके साथ ही उत्तराखण्ड के सभी विश्व विद्यालयों के कुलपतियों को भी आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस गोष्ठी का विषय **सूचना का अधिकार अधिनियम के 08 वर्ष, क्रियान्वयन, अनुभव एवं चुनौतियाँ** रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(1.1) कार्यक्रम की रूप रेखा निर्धारित करते हुए उक्त कार्यक्रम को राजभवन के प्रेक्षागृह में आयोजित किया जाए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम श्री राज्यपाल को आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध सचिव श्री राज्यपाल को दिनांक 12/10/2013 को प्रेक्षागृह आरक्षित किए जाने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यशाला में डा0 वी0पी0नैलवाल (पूर्व राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन) को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विशेषज्ञ के तौर पर उनसे कार्यशाला को सम्बोधित कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के कुछ कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया जायें/साथ ही प्रमुख मीडिया प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1)(j) से आच्छादित व्यक्तिगत सूचना सम्बन्धी मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे, बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03/10/2012 तथा श्री आर0के0 जैन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य में पारित आदेश निर्णय दिनांक 16/04/2013 के सम्बन्ध में भी चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि इस तरह के प्रकरणों में दिशा–निर्देश सभी लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी को दिया जाए कि

वह भविष्य में उक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूर्व धारा 11(3) में तीसरे पक्ष को सूचना देकर उसका पक्ष सुन लिया जाए, तदपश्चात् ही इन प्रकरणों में निर्णय लिया जाए। इसके बावजूद भी द्वितीय अपील के रूप में मा0 आयोग में तीसरे पक्ष को न सुने जाने/नोटिस न दिए जाने की द्वितीय अपील आती है, जिसमें लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी, द्वारा तीसरे पक्ष को सूचित किए बगैर ही निर्णय लिया गया हो तो आयोग ऐसे प्रकरणों में तीसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही निर्णय लेगी ताकि इस तरह के मामलों में सभी स्तरों पर एकरूपता बनी रहे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

राजेन्द्र कोटियाल	प्रभात डबराल	अनिल कुमार शर्मा	विनोद नौटियाल	नृप सिंह नपलच्याल
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त,	राज्य सूचना आयुक्त,	मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 26/09/2013 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के आठ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित बैठक में निम्नवत निर्णय लिए गए।

उपस्थिति :

1. श्री एन0एस0 नपलच्याल,	–	मुख्य सूचना आयुक्त,
2. श्री विनोद नौटियाल,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
3. श्री अनिल कुमार शर्मा,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
4. श्री प्रभात डबराल,	–	राज्य सूचना आयुक्त,
5. श्री राजेन्द्र कोटियाल	–	राज्य सूचना आयुक्त,
6. श्री नरेन्द्र पवीरियाल,	–	उप सचिव,
7. श्री प्रेमन्त सिंह बिष्ट	–	विधि अधिकारी,

1. इस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिवस को दिनॉक 11/10/2013 को समय अपराह्न 3.00 बजे आयोग भवन के प्रेक्षागृह में ही मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस अवसर पर दून स्थित सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्यों को आमन्त्रित किए जाने का निर्णय लिया गया।

3. उक्त समारोह में देहरादून के प्रमुख समाचार पत्र यथा दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, एवं गढ़वाल पोस्ट, के सम्मानित सम्पादकों को भी आमन्त्रित किए जाने का निर्णय लिया गया, तथा इस अवसर पर आर0टी0आई0 के माध्यम से "नागरिकों के सशक्तिकरण के लिये संचार की भूमिका" में परिचर्चा आयोजित की जायेगी ।

4. इस अवसर पर देहरादून स्थित, दून विश्वविद्यालय, तथा श्री देव सुमन विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति को भी आमन्त्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

5. उक्त समारोह के उपलक्ष्य पर इस समारोह में डा0 पी0पी0मैठानी (पूर्व राज्य समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन) को इस परिचर्चा में सहभागिता हेतु आमन्त्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

राजेन्द्र कोटियाल	प्रभात डबराल	अनिल कुमार शर्मा	विनोद नौटियाल	नृप सिंह नपलच्याल
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त,	राज्य सूचना आयुक्त	मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 21/11/2013 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आकस्मिक बैठक आहूत की गई:

उपस्थिति :

1. श्री एन0एस0 नपलच्याल — मुख्य सूचना आयुक्त,
2. श्री विनोद नौटियाल, — राज्य सूचना आयुक्त,
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, — राज्य सूचना आयुक्त,
4. श्री प्रभात डबराल, — राज्य सूचना आयुक्त,
5. श्री नरेन्द्र कुँवरियाल — सचिव
6. श्री सुन्दर लाल सेमवाल, — उप सचिव,
7. श्री शैलेन्द्र सिंह बिष्ट — विधि अधिकारी,

बैठक में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिए गए :—

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(5) के अन्तर्गत जो भी आदेश/निर्देश आयोग स्तर से जारी किए जाते हैं उसमें अधिकांश मामलों में सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो खेद जनक है। अतः आयोग द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया उक्त धारा के मामलों में आयोग स्तर से जारी होने वाले आदेश को सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को एक पृथक पत्र के माध्यम से [illegible] किया जाए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के निर्देश को **बोल्ड अंकित** करते हुए अनुपालन हेतु शीघ्र भेजा जाए एवं ऐसे प्रकरणों में उपसचिव/सचिव स्तर से समीक्षा भी कर ली जाए कि उक्त धारा के तहत इन आदेशों/निर्देश प्रकरणों के प्रकरणों में सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं। यदि किन्हीं प्रकरणों में सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों की [illegible] से अनुपालन हेतु [illegible] इस निमित्त आयोग कार्यालय में [illegible] पत्रावली एवं पंजिका को सुव्यवस्थित [illegible] हुए अद्यावधिक कर लिया जाए तथा प्रति माह समीक्षा प्रस्तुत की जाए।

(2) इस बात पर भी चर्चा हुई कि कतिपय मामलों में अपीलकर्ता/लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि उन्हें आयोग से जारी होने वाले आदेश समय से प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिस पर संज्ञान लेते हुए यह निर्णय हुआ कि आयोग स्तर से जिन मामलों में लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारियों को कोई निर्देश दिये जाते हैं उन ऐसे मामलों में अन्तिम आदेश भी [illegible] डाक से सम्बन्धित को भेजे जाए।

(3) सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि अपील/शिकायतों की सुनवाई के दौरान आयोग में सम्बन्धित पक्षकारों से सम्बन्धित ई-मेल/फैक्स न0/मोबाइल नं0 प्रपत्र में सम्बन्धित आशुलिपिक द्वारा ले लिया जाए ताकि सम्बन्धित को सुविधा की दृष्टि से आदेश की प्रति ई-मेल/फैक्स के माध्यम से भी भेजी जा सके। सम्बन्धित आशुलिपिक द्वारा आदेश की कार्यालय प्रति में ई-मेल/फैक्स से भेजने की पुष्टि भी पत्रावली में कर लिया जाए।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

प्रभात डबराल राज्य सूचना आयुक्त	अनिल कुमार शर्मा राज्य सूचना आयुक्त,	विनोद नौटियाल राज्य सूचना आयुक्त	नृप सिंह नपलच्याल मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 02/12/2013 को माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोग की बैठक का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति :

1. श्री एन0एस0 नपलच्याल, — मुख्य सूचना आयुक्त,
2. श्री विनोद नौटियाल, — राज्य सूचना आयुक्त,
3. श्री अनिल कुमार शर्मा, — राज्य सूचना आयुक्त,
4. श्री प्रभात डबराल, — राज्य सूचना आयुक्त,
5. श्री नरेन्द्र क्वीरियाल — सचिव
6. श्री सुन्दर लाल सेमवाल, — उप सचिव,
7. श्री त्रेपन सिंह बिष्ट — विधि अधिकारी,

1. सहकारी चीनी मिल बाजपुर व गदरपुर से प्राप्त संदर्भ के सम्बन्ध में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रधान प्रबन्धक दि बाजपुर कोपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 बाजपुर तथा प्रधान प्रबन्धक किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 गदरपुर, तथा सचिव, गन्ना चीनी उद्योग विभाग उत्तराखण्ड शासन, को आयोग के समक्ष बुलाया जाए तथा उक्त संस्थाओं के लोक प्राधिकारी होने के सम्बन्ध में अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक तिथि सुनवाई हेतु नियत की जाए। मा0 आयोग द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है इस सम्बन्ध में सम्बन्धित शासनादेश बाइलॉज, अन्य ऐसे अभिलेख जिनसे यह प्रमाणित हो कि उक्त संस्थाओं को वित्तीय/अंशपूंजी, वित्तीय सहायता, अनुदान, तथा अन्य कोई विशिष्ट सुविधा दी गई अथवा नहीं तथा इन संस्थाओं पर राज्य सरकार का किस प्रकार से नियन्त्रण है सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करेंगें।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम यूनियन आफ इंडिया में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में जो शासनादेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी किया गया है उसके अनुपालन में जो कमेटी बनाई जानी है उसे अविलम्ब गठित कर दिया जाए।

3. स्पेशल अपील संख्या-96/2011 दिनांक 10/10/2012 जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कुछ कमियों को एक सप्ताह में दूर करने के निर्देश दिए गए थे, तथा आदेश किया गया था कि एक सप्ताह में कमियां दूर नहीं की गई तो अपील निरस्त समझी जायेगी, इस आदेश की सत्यापित प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आयोग के पत्रांक संख्या 9840 दिनांक 26/08/2013 के द्वारा श्री विपुल शर्मा, एडवोकेट मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल चैम्बर नं0 63, को पत्र भेजा गया था, किन्तु उनके द्वारा इस सम्बन्ध में आयोग को कोई वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये, उन्हें पुनः इस सम्बन्ध में पत्र भेजा जाए तथा इस अपील को पुनर्जीवित करने हेतु श्री विपुल शर्मा से वकालत नामा मंगवा लिया जाए, तथा अग्रेतर कार्यवाही हेतु लिखा जाए।

4. दिनांक 18/09/2013 को आयोग द्वारा बिन्दु संख्या-2 में जो निर्णय लिया गया, उसकी प्रतिलिपि सभी प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।

बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।

प्रभात डबराल	अनिल कुमार शर्मा	विनोद नौटियाल	नृप सिंह नपलच्याल
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त,	राज्य सूचना आयुक्त	मुख्य सूचना आयुक्त

दिनांक 22/05/2013 को
मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में हुयी
राज्य सूचना आयोग की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 22/05/13 को मा. मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आयोग की बैठक आहूत की गयी थी. बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :

1. श्री विनोद नौटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. राज्य सूचना आयुक्त
3. श्री राजेन्द्र कोटियाल, मा. राज्य सूचना आयुक्त

बैठक के प्रारंभ में मा. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा नवनियुक्त मा. राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेन्द्र कोटियाल का अपनी ओर से तथा आयोग की ओर से स्वागत किया गया तथा उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामना व्यक्त की गयीं. अन्य मा. राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा भी मा. राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेन्द्र कोटियाल का स्वागत किया गया.

आयोग द्वारा निम्न विषयों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया :

1. मा. मुख्य सूचना आयुक्त तथा मा. राज्य सूचना आयुक्तों के वाहनों पर झण्डा लगाने के विषय पर विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि आयोग के लोगो सहित झण्डा डिजाइन किया जाये जिसे आयुक्तगणों के वाहनों पर लगाया जाये

2. मा. मुख्य सूचना आयुक्त तथा मा. राज्य सूचना आयुक्तों के आवास निर्माण के सम्बंध में विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि आवास निर्माण हेतु भूमि का चयन कर लिया जाये तथा भूमि की व्यवस्था हो जाने के उपरांत शासन से आवास निर्माण हेतु बजट का अनुरोध किया जाये.

3. मुख्य सचिव आवास पर शासन द्वारा अनुमन्य चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के समान मा. राज्य सूचना आयुक्तों के आवासों पर चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की अनुमन्यता किये जाने तथा मा. मुख्य सूचना आयुक्त के आवास पर तदानुसार व्यवस्था किये जाने के संबंध में पद स्वीकृत करने हेतु शासन से पत्राचार करने के निर्देश दिये गये.

4. मा. राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों तथा पेंशन के संबंध में विचार विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि सेवा शर्तों के संबंध में शासन को लिखा जाये. तथा पेंशन हेतु कर्नाटक राज्य में की गयी व्यवस्था के अनुरूप शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाये.

5. मा. राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा प्रयोग किये जा रहे वाहनों में लाल बत्ती लगाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जिस किसी मा. राज्य सूचना आयुक्त को सुरक्षा एवं अन्य किसी कारण से अपने वाहन में लाल बत्ती लगाये जाने की आवश्यकता

प्रतीत होती है तो वह परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 30/06/11 के आधार पर अपने वाहन पर लाल बत्ती लगा सकते हैं.

6. जिन मा. राज्य सूचना आयुक्तों को अपनी सुरक्षा हेतु खतरे की संभावना का अनुभव होता है, उनके संबंध में गनर के प्राविधान हेतु शासन को पत्र लिख कर आवश्यक व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये.

7. मा. मुख्य सूचना आयुक्त तथा मा. राज्य सूचना आयुक्तों के मध्य कार्य विभाजन के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श हुआ. कार्य विभाजन मा. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया जाता है. किस मा. राज्य सूचना आयुक्त को क्या कार्य आवंटित किया जाना है वह उपरोक्त शक्ति के अंतर्गत मा. मुख्य सूचना आयुक्त का विशेषाधिकार है. अतः इस विषय पर आयोग स्तर पर किसी प्रकार का अन्यथा निर्णय लिये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी.

(राजेन्द्र कोटियाल)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(विनोद नौटियाल)**	**(एन. एस. नपलच्याल)**
राज्य सूचना आयुक्त	**राज्य सूचना आयुक्त**	**राज्य सूचना आयुक्त**	**मुख्य सूचना आयुक्त**

दिनॉक 02/04/2013 को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्तः—

उपस्थिति—	1. श्री एन0एस0 नपलच्याल,	—	मुख्य सूचना आयुक्त,
	2. श्री विनोद नौटियाल,	—	राज्य सूचना आयुक्त,
	3. श्री अनिल कुमार शर्मा,	—	राज्य सूचना आयुक्त,
	4. श्री प्रभात डबराल,	—	राज्य सूचना आयुक्त,
	5. श्री विनोद कुमार सुमन	—	सचिव,
	6. डॉ0 शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय,	—	उप सचिव,
	7. श्री त्रेपन सिंह बिष्ट,	—	विधि अधिकारी,

1. मुख्य सूचना आयुक्तों को शासन द्वारा प्रदत्त सशस्त्र अंगरक्षक (गनर) को हटा लिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई, एवं सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

1.1 प्रमुख सचिव गृह से गनर हटाए जाने के सम्बन्ध में यह अपेक्षा की जाए कि क्या गनर हटाए जाने के निर्णय लेने से पूर्व कोई आंकलन (Assessment Report) प्रस्तुत किया गया था यदि किया गया था तो उस आंकलन की एक प्रति आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

1.2 मा0 मुख्य सूचना आयुक्त एवं समस्त राज्य सूचना आयुक्त के गनर्स हटाए जाने के सम्बन्ध में जो औपचारिक आदेश निर्गत किए गए हो उसकी एक सत्यापित प्रति आयोग को उपलब्ध कराई जाए।

2. मा0 राज्य सूचना आयुक्त श्री अनिल कुमार शर्मा को पूर्व से मिले धमकी (Threat) को दृष्टिगत रखते हुए उन्हे शासन द्वारा विशेष सुरक्षा प्रदत्त की गई थी एवं इस सम्बन्ध में एक पी0एस0ओ0 (Personal Security Officer) एवं आवास पर 1/3 गारद की व्यवस्था की गई थी, इसे भी हटाये लिए जाने से उत्पन्न स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण पर किए गए शासन स्तरीय निर्णय से पूर्व समुचित स्तर पर कृत आंकलन की छायाप्रति प्रमुख सचिव गृह से मांगे जाने का निर्णय लिया गया है साथ ही हटाये जाने के आदेश की प्रतिलिपि मांगी जाए।

3. उपरोक्त के सम्बन्ध में सचिव सूचना आयोग को निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रमुख सचिव गृह को पत्र प्रेषित किया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(एन0एस0 नपलच्याल)	(विनोद नौटियाल)	(अनिल कुमार शर्मा)	(प्रभात डबराल)
मुख्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त

आयोग की संस्तुतिया

7. आयोग की संस्तुतिया

सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का लोक प्राधिकारियों तथा जनसामान्य के द्वारा सफल क्रियान्वयन में सहायता प्राप्त किये जाने के उद्‌देश्य से आयोग द्वारा राज्य सरकार को निम्नलिखित संस्तुतियां यथोचित परीक्षणोपरान्त क्रियान्वयन हेतु प्रेषित की जा रही हैं.

संस्तुति : 1

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किये जाने वाले पत्र व्यवहार को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से किये जाने की व्यवस्था है परन्तु लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों को इसके लिए कार्यालय से डाक व्यय नहीं प्राप्त हो रहा है. इस कारण ग्राम विकास, राजस्व आदि विभिन्न लोक प्राधिकारियों के अन्तर्गत नामित लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सूचना आवेदनकर्ताओं को समय से सूचना प्रेषित करने तथा अन्य सम्बन्धित पत्राचार करने में कठिनाई होती है. इस कारण आवेदनकर्ताओं को समय से सूचना प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है.

आयोग की संस्तुति है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लोक प्राधिकारी के वार्षिक बजट में पृथक शीर्षक के अन्तर्गत धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिए जिसे लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पत्र व्यवहार तथा मांगे गये अभिलेखों की छायाप्रति तैयार करने में होने वाले व्यय को पूर्ण करने में उपयोग किया जा सके, तथा जिसके फलस्वरूप आवेदनकर्ताओं को समय से सूचना प्राप्त हो सके.

संस्तुति : 2

आयोग में विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवायी के समय प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की सम्यक्‌ जानकारी नहीं होती है. इस कारण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों तथा प्रथम अपीलों के सयान्तर्गत एवं उचित निस्तारण करने में उन्हें कठिनाई होती है. सूचना आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपीलों पर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के कारण बहुत से प्रकरणों में आयोग को ऐसे लोक सूचना अधिकारियों पर शास्ति आरोपण, तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विरूद्ध अनुशास्नात्मक कार्यवाही भी की जाती है.

आयोग की संस्तुति है कि लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी अपने दायित्व का निवर्हन सुविधापूर्वक कर सकें, इसके लिए कि समस्त लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों का गहन प्रशिक्षण राज्य सरकार द्वारा आयोजित कराया जाना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त एक ऐसी मार्गदर्शिका पुस्तिका, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम तथा मा. उच्चतम न्यायायलय एवं मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा अधिनियम से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर पारित निर्णयों व अन्य स्पष्टीकरण से सम्बन्धित सामग्री संकलित की गयी हो, को लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

संस्तुति : 3

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में धारा 18 के अन्तर्गत सूचना आयोग में शिकायत प्रस्तुत करने की कोई समय–सीमा नहीं दी गयी है. आयोग की संस्तुति है कि राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर नियम बना कर ऐसी शिकायत हेतु समय–सीमा निर्धारित की जाये, जो अनुरोध पत्र को लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत की जानी चाहिए.

संस्तुति : 4

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11(च) में निम्नलिखित प्राविधान किया गया है :

लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार की जायेगी।

परन्तु राज्य सरकार के स्तर से अभी तक उपरोक्त आरोपित शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गयी है. अतः आयोग की यह संस्तुति है कि आयोग द्वारा आरोपित शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाये.

संस्तुति : 5

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11(ख), 11(ग) तथा 11(ड) में निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :

आयोग आरोपित शास्ति वसूलने के लिए उसे 3 से अनधिक किश्तो में वसूलने के लिए आदेश दे सकेगा। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।

अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के अधिनिर्णय हेतु लोक प्राधिकारी के विरुद्ध–आदेश पारित करने पर आयोग ऐसे आदेश की प्रति आयोग द्वारा स्वयं लोक प्राधिकारी को वसूली के लिए उपलब्ध कराएगा जो आदेश की पावती यह सूचित करते हुए कि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान तथा ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन्हें लोक प्राधिकारी उचित समझे, उक्त राशि वसूल करने के लिए नोट कर ली गई है, आयोग की पावती भेजेगा।

खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।

आयोग द्वारा उपरोक्त प्राविधानों के अनुपालन के लिए परिशिष्ट–1 में दिये गये प्रारूपों को तैयार किया गया है. आयोग की संस्तुति है कि इन प्रारूपों को राज्य सरकार के स्तर से निर्गत कर समस्त लोक प्राधिकारियों को इनके अनुसार ही उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11(ख), 11(ग) तथा 11(ड) के प्राविधानों का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया जाये.

परिशिष्ट–1

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11(ख) में वर्णित लोक प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रस्तावित प्रारूप

आज दिनांक .... को सचिव/उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्रांक .... के माध्यम से आयोग द्वारा अपील/शिकायत संख्या .... में पारित अन्तिम आदेश दिनांक .... का प्राप्त हुआ, जिसमें उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी .... पर धारा 20(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत रु. .... की शास्ति आरोपित की गयी, जिसकी पावती आयोग को आज दिनांक .... को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि वसूली के प्रयोजनार्थ नोट कर लिया गया.

लोक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं मुद्रा

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11(ग) में वर्णित लोक प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रस्तावित प्रारूप

आज दिनांक .... को सचिव/उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्रांक .... के माध्यम से आयोग द्वारा अपील/शिकायत संख्या .... में पारित अन्तिम आदेश दिनांक .... का प्राप्त हुआ, जिसमें उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकारी .... पर धारा 19(8)(ई) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत रु. .... की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी, जिसकी पावती आयोग को आज दिनांक .... को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि उक्त अधिरोपित की गयी क्षतिपूर्ति को वसूली के प्रयोजनार्थ नोट कर लिया गया.

लोक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं मुद्रा

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11(ड) में वर्णित लोक प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रस्तावित प्रारूप

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपील/शिकायत संख्या .... में पारित अन्तिम आदेश दिनांक .... जिसमें लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी .... पर रु. .... की शास्ति/क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी, को वसूल कर दिनांक .... को सामान्य प्रशासन के खाते में चालान संख्या .... के द्वारा जमा किया गया / अधिरोपित क्षतिपूर्ति को चैक/ड्राफ्ट संख्या .... के द्वारा अपीलकर्ता/आवेदनकर्ता को भेज दिया गया है.

लोक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं मुद्रा

आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देश

८. आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देश

प्रदेश के लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा समय–समय पर शासन तथा लोक प्राधिकारियों को यथोचित निर्देश पत्र के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं.

अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन हेतुं आयोग द्वारा अपनी कार्य पद्धति के संबंध में भी समय–समय पर कार्यालय आदेश निर्गत किये जाते हैं.

वर्ष 2013–14 में आयोग स्तर से निर्गत ऐसे कुछ निर्देशों को इस अध्याय में संकलित किया गया है.

पत्रांक : 7009 /उ.सू.आ./2013–14
दिनांक : 13/06/13

प्रिय

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(2) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को मुख्यतः दो प्रकार के मासिक प्रगति विवरण प्रेषित किये जाते थे, जिनमें (1) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों एवं एकत्रित धनराशि की पांच बिंदुओं पर सूचना, तथा (2) प्राप्त एवं निस्तारित प्रथम अपीलों से संबंधित प्रगति विवरण सम्मिलित होते थे. उक्त प्रगति विवरणों हेतु दो भिन्न प्रारूपों के स्थान पर माह मार्च, 2012 में आयोग द्वारा 21 बिंदुओं वाला एक नवीन समेकित प्रारूप तैयार कर प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को प्रेषित किया गया था. इस नये प्रारूप में सूचना अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपीलों से संबंधित विवरणों के साथ–साथ सूचना अनुरोधों की अस्वीकृति की धाराओं से संबंधित विवरण भी अपेक्षित हैं. (प्रतिलिपि संलग्न).

2. विगत एक वर्ष से अधिक समयावधि में उक्त नवीन प्रारूप पर लोक प्राधिकारियों के स्तर से प्राप्त होने वाले विवरणों के अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि अधिकांश लोक प्राधिकारियों द्वारा उक्त नवीन प्रारूप के केवल स्तम्भ 2 से 9 की ही सूचना आयोग को प्रेषित की जा रही है. प्रारूप के स्तम्भ 10 से 22, जिसके अंतर्गत सूचना अनुरोधों की अस्वीकृति की धाराओं से संबंधित विवरण दिये जाने हैं, को केवल पुलिस मुख्यालय तथा प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय द्वारा ही दिया जा रहा है. शेष समस्त विभागों द्वारा उक्त स्तम्भों की सूचना नहीं दी जा रही है जबकि इन लोक प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न माहों में उक्त प्रारूप के स्तम्भ 5 (निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या) से संबंधित विवरण दिये जाते हैं. लोक प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त प्रकार से आयोग को सही विवरण न दिया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों का नितान्त उल्लंघन है.

4. आयोग में प्राप्त होने वाले उक्त प्रगति विवरणों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि सचिवालय के सभी विभागों द्वारा मासिक प्रगति विवरण आयोग को नियमित रूप से नहीं प्रेषित किये जा रहे हैं. सचिवालय स्तर से केवल आवास विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग, पेयजल विभाग, आबकारी विभाग, गोपन विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा प्रोटोकॉल विभाग के स्तर से ही नियमित रूप से उक्त मासिक प्रगति विवरण आयोग को प्राप्त हो रहे हैं.

5. उपरोक्त के क्रम में अनुरोध है कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन में आयोग को स्पष्ट एवं सही विवरण प्रेषित करने हेतु कृपया शासन स्तर से प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को समुचित रूप से निर्देशित करने का कष्ट करें. इसके अतिरिक्त सचिवालय के समस्त विभागों के स्तर से भी आयोग को नियमित रूप से मासिक प्रगति विवरण प्रेषित करने सम्बंधी स्पष्ट औपचारिक आदेश भी जारी करने का कष्ट करें तथा आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

संलग्न : यथोपरि.

एन. एस. नपलच्याल

श्री एस. एस. रावत
सचिव, सामान्य प्रशासन
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

एन.एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास
रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2675778, 2675779
http://uic.gov.in
पत्रांक : 9671/उ.सू.आ./2013–14
दिनांक : 20/08/2013

प्रिय,

माह जून 2013 तथा उसके बाद उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में विनाशकारी दैवीय आपदा से जो जान माल एवं सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि हुयी है उसके सम्बंध में राज्य सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत, पुनर्वास तथा पुर्ननिर्माण के कार्यों को कराया जा रहा है.

2. आयोग का यह अनुमान है कि राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों तथा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्यों के सम्बंध में कालांतर में नागरिकों द्वारा सूचना मांगी जायेंगी तथा इस हेतु सम्बंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारियों को अत्यधिक सूचना अनुरोध पत्र प्राप्त होंगे. ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि सम्बंधित कार्यालयों तथा लोक सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होगी. अतः दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को बचाव, राहत एवं पुनर्वास की जो सहायता प्रदान की जायेगी तथा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण के जो कार्य सम्पादित किये जायेंगे, ऐसे कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखना तथा उनसे सम्बंधित सूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु तहसील एवं जनपद स्तर पर अभी से समुचित कार्यवाही किया जाना उचित होगा ताकि ऐसी सूचना को स्वतः ही सार्वजनिक किये जाने तथा उस तक नागरिकों की सुलभ पहुंच बनाये रखने से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों की संख्या को काफी हद तक सीमित किया जा सकता है.

3. इसके लिए यह समीचीन होगा कि बचाव, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सम्बंधी समस्त सूचना को तहसीलवार तैयार कर सम्बंधित जिलाधिकारियों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा जनपद की वैबसाईट में प्रमुखता से प्रदर्शित कर दिया जाये जिससे नागरिक ऐसी सूचना की जानकारी इंटरनैट के माध्यम से सीधे ही प्राप्त कर सकें. साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) (xi), (xii), (xiii) के अनुपालन में जनपदों को राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के मद में आवंटित धनराशि, उसके वितरण के मानक, लाभार्थीवार वितरित धनराशि जैसी सूचना का समावेश सम्बंधित लोक प्राधिकारी यथा जिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता आदि के मैनुअल में भी कर के उनके निरंतर अद्यावधिकरण की व्यवस्था कर दी जाये तो विभिन्न कार्यालयों तथा लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का भार भी कम हो जायेगा.

4. अतः अनुरोध है कि शासन स्तर से समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा दैवीय आपदा के अंतर्गत बचाव, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी लोक प्राधिकारियों को उपरोक्तानुसार सूचना तहसीलवार तैयार कर जनपद की वैबसाईट में प्रदर्शित करने तथा लोक प्राधिकारियों के मैनुअलों में समावेशित करने के साथ–साथ ऐसी जानकारियों की उपलब्धता की सूचना तथा जनपद के सम्बंधित वैबसाईट एड्रैस को दैनिक समाचार पत्रों एवं जन संचार माध्यमों से प्रसारित करने हेतु निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें तथा ऐसे निर्देशों की एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

एन. एस. नपलच्याल

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

महत्वपूर्ण

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या : 13666 / उ.सू.आ. / 2012–13 दिनांक : 25 / 11 / 2013

1. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ, देहरादून / नैनीताल
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड

महोदय / महोदया,

उत्तराखण्ड राज्य की भूगर्भीय संरचना एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य में बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन जैसी विभिन्न प्रकार की दैवीय आपदाओं का संकट सदैव बना रहता है. दैवीय आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों तथा निवासियों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा राहत एवं बचाव कार्य तथा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्य जिला प्रशासन के माध्यम से कराये जाते हैं.

ऐसे राहत एवं बचाव कार्यों तथा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के कार्यों के सम्बंध में कालान्तर में नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनायें भी मांगी जाती हैं. ऐसी स्थिति में सम्बन्धित विभाग के लोक सूचना अधिकारियों को अत्यधिक सूचना अनुरोध पत्र प्राप्त होते हैं तथा स्वाभाविक है कि सम्बन्धित कार्यालयों तथा लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होती है. अतः दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को बचाव, राहत एवं पुनर्वास की जो सहायता प्रदान की जाती हैं तथा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण के जो कार्य सम्पादित किये जाते हैं, ऐसे कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखना तथा उनसे सम्बन्धित सूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु तहसील एवं जनपद स्तर पर समुचित कार्यवाही किया जाना उचित होगा ताकि ऐसी सूचना को स्वतः ही सार्वजनिक किये जाने तथा उस तक नागरिकों की सुलभ पहुंच बनाये रखने से सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त होने वाले अनुरोध पत्रों की संख्या को काफी हद तक सीमित किया जा सकता है.

अतः प्रत्येक जनपद में बचाव, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सम्बन्धी समस्त सूचना को तहसीलवार तैयार कर सम्बंधित जिलाधिकारियों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा जनपद की वैबसाईट में प्रमुखता से प्रदर्शित कर दिया जाये जिससे नागरिक ऐसी सूचना की जानकारी इंटरनैट के माध्यम से सीधे ही प्राप्त कर सकें. साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) (xi), (xii), (xiii) के अनुपालन में जनपदों को राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के मद में आवंटित धनराशि, उसके वितरण के मानक, लाभार्थीवार वितरित धनराशि जैसी सूचना का समावेश सम्बन्धित लोक प्राधिकारी, यथा जिलाधिकारी, अधिशासी अभियंता आदि, के मैनुअल में भी कर के उनके निरंतर अद्यावधिकरण की व्यवस्था कर दी जाये तो विभिन्न कार्यालयों तथा लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का भार भी कम हो जायेगा.

अतः बचाव, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी कार्यालयों को उपरोक्तानुसार तहसीलवार सूचना अपने–अपने जनपद की वैबसाईट में प्रदर्शित करने तथा लोक प्राधिकारियों के मैनुअलों में समावेशित करने के साथ–साथ ऐसी जानकारियों की उपलब्धता की सूचना तथा जनपद के सम्बंधित वैबसाईट ऐड्रैस को दैनिक समाचार पत्रों एवं जन संचार माध्यमों से प्रसारित कर अनुपालन आख्या आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

पत्रांक : 13390 / उ.सू.आ. / 2013–14
दिनांक : 29 / 11 / 2013

प्रिय

कृपया निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी द्वारा आयोग को प्रेषित संलग्न सूची का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें अकादमी द्वारा जिलेवार तथा विभागवार तैयार किये गये आर.टी.आई. मास्टर प्रशिक्षकों की संख्या एवं विभागों का विवरण दिया गया है. .

2. जैसा आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 26(1)(घ) में प्राविधानित दायित्व के अन्तर्गत ही राज्य सरकार द्वारा विभिन्न लोक प्राधिकारियों के लोक सूचना अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी के माध्यम से की गयी है. संलग्न सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 से अब तक मात्र 358 अधिकारियों को ही मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जा सका है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा राज्य में लोक सूचना अधिकारियों की कुल संख्या 9500 से भी अधिक आंकी गयी है. उक्त मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा अपने–अपने विभागों में प्रशिक्षित किये गये लोक सूचना अधिकारियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

3. उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश में अधिकतर लोक सूचना अधिकारी अभी भी अप्रशिक्षित ही हैं तथा समुचित प्रशिक्षण के अभाव में उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का सही प्रकार से अनुपालन नहीं किया जा पाता है. इस कारण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सूचना आवेदन पत्रों के नियमानुसार उचित निस्तारण में लोक सूचना अधिकारियों को तो कठिनाई होती ही है, साथ ही अधिकतर प्रकरणों में आवेदकों को भी समयान्तर्गत स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है तथा प्रथम अपीलों एवं द्वितीय अपीलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है.

4. आयोग का मत है कि लोक सूचना अधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण को एक व्यापक अभियान के अन्तर्गत पूर्ण किया जाये. इस हेतु उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी द्वारा अधिक से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूर्ण कराया जाना चाहिए. साथ ही, अकादमी से प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपने विभागीय लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित किये जाने के लिए एक वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर नियत समय–सीमा के भीतर अधिक से अधिक लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए. उक्त के क्रम में अनुरोध है कि कृपया लोक सूचना अधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण को सुनिश्चित कराने के लिए शासन स्तर से सभी लोक प्राधिकारियों को यथोचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें. कृपया ऐसे निर्गत निर्देशों की प्रति आयोग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

संलग्न : यथोपरि.

एन. एस. नपलच्याल

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

पत्रांक : 1246 / उ.सू.आ. / 2013–14
दिनांक : 28.01.2014

प्रिय

कृपया अपने पत्र संख्या 73 दिनांक 23 / 01 / 14 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अकादमी द्वारा वर्ष 2014–15 में आयोजित किये जाने वाले सूचना का अधिकार अधिनियम सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किये जाने के लिए प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों के स्तर पर कार्मिकों के प्रशिक्षण की नितान्त आवश्यकता है. अकादमी द्वारा पूर्व में आयोग को प्रेषित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2009–10 से अब तक मात्र 358 अधिकारियों को ही मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जा सका है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा राज्य में लोक सूचना अधिकारियों की कुल संख्या 9500 से भी अधिक आंकी गयी है. कार्मिकों द्वारा समुचित प्रशिक्षण के अभाव में सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों का सही प्रकार से अनुपालन नहीं किया जा पाता है तथा इस कारण उत्पन्न हुयी कठिनाईयां आयोग के समक्ष विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं निस्तारण के समय पूर्ण रूप से परिलक्षित हो जाती हैं.

3. उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी द्वारा वर्ष 2014–15 में आयोजित किये जाने वाले सूचना का अधिकार अधिनियम सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु आयोग के सुझाव निम्नवत् हैं :

3.1 राजस्व, शिक्षा (बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी), वन एवं पर्यावरण, गृह / पुलिस, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, ग्रामीण अभियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम प्रबन्धन, कृषि, सहकारिता, मतस्य पालन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पेयजल, ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, परिवहन, नगर विकास, आवास आदि ऐसे प्रमुख विभाग हैं जिनके स्तर पर अत्यधिक सूचना आवेदन पत्र एवं प्रथम अपीलें प्राप्त होती हैं तथा इन्हीं विभागों से अधिकतम द्वितीय अपीलें भी आयोग में प्राप्त होती हैं. अतः उक्त विभागों में प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है.

3.2 सूचना आवेदनकर्ताओं तथा अपीलकर्ताओं से पत्राचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मानक प्रारूप भी निर्धारित किये गये हैं, अतः अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान ऐसे समस्त मानक प्रारूपों के उपयोग के सम्बन्ध में भी लोक सूचना अधिकारियों / प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अवगत कराया जाये, जिससे उनके द्वारा सूचना आवेदनों एवं प्रथम अपीलों का निस्तारण ऐसे निर्धारित मानक प्रारूपों पर ही किया जाये.

3.3 प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रथम अपीलों के सही निस्तारण के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जाना भी आवश्यक है. इस सम्बन्ध में आयोग स्तर से जारी दिशा निर्देशों को भी प्रशिक्षण सामग्री का भाग बनाया जा सकता है.

3.4 प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ–साथ अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों, जैसे धारा 5(2), 5(4), 6(3), 7(3), 7(6), 7(8), 7(9), 8(1), 9, 10, 11, 18(4), 19(5), 21, 22 तथा 24 के प्रयोग में दक्षता विकसित करने पर भी महत्व दिया जाना चाहिए.

3.5 लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा आयोग को प्रेषित किये जाने वाले मासिक प्रतिवेदनों को उचित प्रकार से आयोग को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए.

3.6 प्रशिक्षण में इस तथ्य को समझाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए कि किस प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम लोक प्राधिकारियों के हित में है.

4. अकादमी द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आयोग के उपरोक्त सुझावों को उपयोग किया जाना उचित होगा. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में यदि अन्य किसी सहायता / मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो कृपया अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

एन. एस. नपलच्याल

श्री अवनेन्द्र सिंह नयाल
निदेशक
उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

महत्वपूर्ण/आवश्यक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com

सख्या : 2872 / उ.सू.आ. / 2013–14 दिनांक : 05 मार्च, 2014

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन**
2. **समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन**
3. **मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, देहरादून / नैनीताल**
4. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड**
5. **समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड**
6. **समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड**
7. **कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड**

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण.

महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25 के द्वारा राज्य सूचना आयोग को अनुश्रवण तथा रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व प्रदत्त है. इसी क्रम में आयोग में योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई तथा निस्तारण के दौरान अनेकों वादों में आयोग द्वारा सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं, तथा ऐसे लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह आयोग द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं पर अनुपालन की कार्यवाही पूर्ण कर आयोग को भी अवगत करायें.

2. विगत वर्षों में आयोग स्तर से उक्त धारा 25(5) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों को प्रेषित निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि अधिकतर प्रकरणों में लोक प्राधिकारियों के द्वारा आयोग निर्देशों के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही पूर्ण करते हुये अपनी अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है.

3. आयोग द्वारा धारा 25(5) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों को दिये जाने वाले निर्देशों का लोक प्राधिकारियों के स्तर पर समयान्तर्गत समुचित अनुपालन का निरन्तर अनुश्रवण करने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :

3.1 धारा 25(5) के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले निर्देशों सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को आयोग स्तर से एक पृथक पत्र के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे. इस पत्र में सम्बन्धित अपील / शिकायत का विवरण, आयोग के आदेश का दिनांक तथा धारा 25(5) के अन्तर्गत दिये गये आयोग के निर्देशों को सम्मिलित किया जायेगा.

3.2 अपील / शिकायत के आदेश के उस प्रस्तर को, जिसमें लोक प्राधिकारी से धारा 25(5) के अन्तर्गत कार्यवाही की अपेक्षा की गयी होगी, वह **bold formatting** में दिया गया होगा.

3.3 धारा 25(5) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रत्येक ऐसे प्रकरण को सम्बन्धित लोक प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर एक अनुश्रवण पंजिका में दर्ज किया जायेगा. इस पंजिका में निम्नलिखित 8 स्तम्भ बनाये जायेंगे :

क्र.	कार्यालय में प्राप्ति का दिनांक	आयोग की अपील / शिकायत संख्या तथा आयोग के आदेश का दिनांक	अपीलकर्ता / शिकायत कर्ता तथा प्रतिवादियों / प्रतिपक्षियों का विवरण	आयोग द्वारा निर्दिष्ट धारा 25(5) के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही. (आयोग के आदेश के सम्बन्धित प्रस्तर को अक्षरशः दिया जाये)	लोक प्राधिकारी के स्तर से की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण एवं दिनांक	आयोग को अनुपालन आख्या प्रेषण का विवरण (पत्रांक / दिनांक)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

4. आयोग स्तर पर धारा 25(5) के निर्देशों के लोक प्राधिकारियो के साथ अनुपालन की समीक्षा किये जाने के समय आयोग के समक्ष उक्त पंजिका प्रस्तुत की जानी आवश्यक होगी. अतः समस्त लोक प्राधिकारी उपरोक्त प्रस्तर 3.1 – 3.3 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें.

कृपया इस पत्र की प्राप्ति भी स्वीकार करें.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस सम्बन्ध में समस्त लोक प्राधिकारियों को शासन स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि :

1. समस्त मा. राज्य सूचना अयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को सूचनार्थ एवं संज्ञानार्थ.
2. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

एन. एस. नपलच्याल
मुख्य सूचना आयुक्त

पत्रांक : 3350 / उ.सू.आ. / 2013–14
दिनांक : 14 / 03 / 2014

विषय : स्व–प्रकटीकरण की सूचनाओं को तैयार करने हेतु निर्धारित प्रपत्रों के सम्बन्ध में.

प्रिय

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1), धारा 4(2) तथा धारा 4(3) के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओं के स्व–प्रकटीकरण तथा प्रसार की विधि के सम्बन्ध में सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश के समस्त मुख्य सचिवों को प्रेषित अ.शा. पत्रांक D.O. No. 1/6/2011-IR दिनांक 21 / 11 / 13 का सन्दर्भ ग्रहण करें.

2. जैसा पत्र में वर्णित है, स्व–प्रकटीकरण की गुणवत्ता सुधारने के उद्‌देश्य से भारत सरकार द्वारा मई, 2011 में एक कार्य–दल का गठन किया गया था. इस कार्य–दल द्वारा मुख्यतः (i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (ii) पंचायत, (iii) मनरेगा, तथा (iv) प्राईमरी एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्रों (विभागों) द्वारा जनपद स्तर एवं उससे नीचे के स्तरों पर किये जाने वाले स्व–प्रकटीकरण के लिए विभिन्न प्रपत्रों को तैयार किया गया है.

3. उपरोक्त पत्र की संलग्नकों सहित प्रति मैं आपको इस आशय से प्रेषित कर रहा हूं कि उक्त निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित स्व–प्रकटीकरण की कार्यवाही को पूर्ण किये जाने के लिए शासन स्तर से भी सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें. साथ ही, अन्य लोक प्राधिकारियों जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा अन्य सामाजिक लाभ प्रदान करने वाले विभागों के द्वारा भी ऐसे प्रपत्रों को विकसित करने तथा उन्हीं प्रपत्रों के अनुसार स्व–प्रकटीकरण की सूचनाओं को तैयार करने के सम्बन्ध में भी शासन स्तर से समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

संलग्न : यथोपरि

एन. एस. नपलच्याल

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

पत्रांक : 3351 / उ.सू.आ. / 2013–14
दिनांक : 14 / 03 / 2014

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत स्व–प्रकटीरण के परिपालन हेतु मार्गदर्शिका विषयक.

प्रिय

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत स्व–प्रकटीकरण के प्राविधानों के सम्बन्ध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार मार्गदर्शिका के अनुपालन के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 / 12 / 13, जिसकी प्रति आपके कार्यालय को भी पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करें.

2. भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप तथा मार्गदर्शिका की प्रति मैं आपको इस आशय से प्रेषित कर रहा हूं कि उक्त मार्गदर्शिका में दिये गये विभिन्न बिन्दुओं के अनुरूप कृपया प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए शासन स्तर से भी लोक प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

संलग्न : यथोपरि

एन. एस. नपलच्याल

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून

आयोग द्वारा
द्वितीय अपीलों / शिकायतों में
आरोपित शास्तियां
तथा अंकित आदेशों
का सार

शिकायत / अपील संख्या	दिनांक	वर्ष	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	आर्थिक दण्ड	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही	यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी किया हो तो उच्च न्यायालय की रिट पेटिशन संख्या तथा दिनांक	अभ्युक्ति	बसूली की गई धनराषि
A-8959	09.04.2013	2013	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, आर0टी0आई0 मिशन उत्तराखण्ड 104 ईश्वर विहार फेस–2, रायपुर रोड देहरादून/"लोक सूचना अधिकारी अनुभाग अधिकारी, कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून," विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून	लोक सूचना अधिकारी अनुभाग अधिकारी, कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून पर 10,000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00	0.00		WP-1569(M/S)/2013, CIC order dated 15/2/2013		0
A-8593	10.04.2013	2013	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, आर0टी0आई0 मिशन उत्तराखण्ड 104 ईश्वर विहार फेस–2, रायपुर रोड देहरादून/"लोक सूचना अधिकारी अनुभाग अधिकारी, कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून," विभागीय अपीलीय अधिकारी/संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून/लोक प्राधिकारी प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून	लोक सूचना अधिकारी अनुभाग अधिकारी, कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के वर्ष 2012–2013 की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कराये जाने हेतु	0.00	0.00	DA	WP-9973(M/S)/2013 IC order dated 10/4/2013		0
A-10917	28.05.2013	2013	श्री रघुनाथ सिंह नेगी पूर्व उपाध्यक्ष, गढ़वाल मण्डल विकास निगम हास्पिटल रोड विकास नगर देहरादून/"लोक सूचना अधिकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विकास नगर देहरादून" विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून	लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विकास नगर देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	5000.00	0.00				0
A-9539	29.05.2013	2013	श्री रमेश चन्द्र सिह चौधरी, 184 दिव्य विहार धर्मपुर 'डांडा, पोस्ट नेहरूग्राम जिला देहरादून, "लोक सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, हरिद्वार/" विभागीय अपीलीय अधिकारी/ मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार/लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी रूड़की जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, हरिद्वार एवं लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी रूड़की जिला हरिद्वार पर 5000–5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00	0.00				0

A-10910	06.06.2013	2013	डा0 दीपक कुमार शर्मा मार्फत श्री वी0पी0 शर्मा, 70/11ए–पूर्वावली गणेश चौक के पास रूडकी जिला हरिद्वार बनाम ''लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हरिद्वार,'' खण्ड शिक्षा अधिकारी ब्लाक नारसन, जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड, ''विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड''	लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हरिद्वार पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00	0.00				0
A-9353	02.05.2013	2013	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, लघु समाचार पत्र एसोसिएशन, 104 ईश्वर विहार फेस–2, रायपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड बनाम ''लोक सूचना अधिकारी संयुक्त निदेशक, सूचना एवं लोक सर्म्पक विभाग उत्तराखण्ड देहरादून'' 2. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग देहरादून	लोक प्राधिकारी /महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग देहरादून 2000 की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है	2000.00	0.00				0
A-9502	02.05.2013	2013	श्री धर्म सिंह पुत्र श्याम लाल,ग्राम मेहबड़ खुर्द उर्फ नागल, पोस्ट मेहवड कला, तहसील रूड़की जिला हरिद्वार, ''लोक सूचना अधिकारी /कलैक्ट्रेट हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी /अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन हरिद्वार, जिला अधिकारी हरिद्वार''	लोक सूचना अधिकारी /कलैक्ट्रेट हरिद्वार पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00	0.00				0
A-9549	14.05.2013	2013	श्री सीमा सिंह पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह ग्राम खेड़ा पिलखुवा जिला पंचशील नगर हापुंड़ उत्तर प्रदेश बनाम ''लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय जिला अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड,'' जिला अधिकारी हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय जिला अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00	0.00				0
A-9478	14.05.2013	2013	श्री दौलत राम उप्रेती, ग्राम देवल पोस्ट व विकास खण्ड कोट सितोनस्यूं, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड बनाम ''लोक सूचना अधिकारी/उप जिला अधिकारी बारहस्यूं पौड़ी गढ़वाल'' विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला अधिकारी पौड़ी गढवाल उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी/उप जिला अधिकारी बारहस्यूं पौड़ी गढ़वाल 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00	0.00				0
A-9780	15.04.2013	2013	श्री भूपेन्द्र कुमार, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय सामाजिक न्यायकृत मंच, एच–255, नेहरू कालोनी देहरादून बनाम ''लोक सूचना अधिकारी नगर निगम हरिद्वार'' विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी नगर निगम हरिद्वार पर 10000 रू0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00	0.00		Writ PetitionNo 1283/2013 MIS		0

A-7393	10.07.2013	2013	श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल, एच–255, नेहरू कालोनी, देहरादून, "लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून" विभागीय अपीलीय अधिकारी/सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनुपर रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादन पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	5000.00	0.00					0
A-11088	09.07.2013	2013	श्री सतीश कुमार आर्य, सम्पादक प्रेमवाणी हि0सा0 110, फेन्डस कालोनी मल्हीपुर रोड सहारनपुर उत्तर प्रदेश बनाम "लोक सूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड," विभागीय अपीलीय अधिकारी निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00	0.00					0
A-9384	09.07.2013	2013	श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री गिरधर सिंह, ग्राम राजपुर तहसील जसपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड, बनाम "लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय तहसीलदार जसपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड," विभागीय अपीलीय अधिकारी/तहसीलदार जसपुर जिला उधम सिंहनगर	लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय तहसीलदार जसपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड, पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00	0.00					0
A-10285	05.07.2013	2013	श्री राजवीर सिंह पंवार पुत्र श्री कर्ण सिंह पंवार 30/1 बी, पटेलनगर मालवीय चौक रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड बनाम "लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हरिद्वार," विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हरिद्वार पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00	0.00					0
A-9637	14.06.2013	2013	श्री अमर सिंह धुन्ता, सचिव, आर0टी0आई0 क्लब, 827/1, सिरमौर मार्ग कौलागढ़ रोड, देहरादून, "लोक सूचना अधिकारी / सहायक महाप्रबंन्धक, वित्त, उत्तराखण्ड परिवहन निगम काठगोदाम जिला नैनीताल" विभागीय अपीलीय अधिकारी/ मण्डलीय प्रबंधक संचालन, काठगोदाम जिला नैनीताल उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी / सहायक महाप्रबंन्धक, वित्त, उत्तराखण्ड परिवहन निगम काठगोदाम जिला नैनीताल पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00	0.00					0

A-10437	14.06.2013	2013	श्री सुनय कुकसाल पुत्र श्री सुखदेव कुकसाल, ग्राम पैन्यूला, पट्टी अकरी, पोस्ट दुगड्डा, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड बनाम "लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढ़वाल" विभागीय अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल श्रीनगर गढ़वाल एव तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा लोक वर्तमान सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढ़वाल	लोक वर्तमान सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढ़वाल पर 10,000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00	0.00				0
A-10639	11.06.2013	2013	श्री गोकर्ण सिंह बनाम "कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ" विभागीय अपीलीय अधिकारी /अधीक्षण अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ पर 10,000 रू0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00	0.00			चालान संख्या 37 दिनांक 26 सितम्बर 2013 के द्वारा जमा कर लिया गया है ।	10000
A-11118	19.06.2013	2013	श्री हसन अहमद, करबला माला अल्मोड़ा बनाम "लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी हवालबाग जिला अल्मोड़ा" विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला विकास अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी हवालबाग जिला अल्मोड़ा पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	5000.00	0.00			चालान संख्या 44/22.8.2013 के द्वारा जमा कर दिया गया है।	5000
A-10525	30.05.2013	2013	श्री प्रेम सिंह पुत्र स्व0 श्री राम फल प्रेमनगर बाजार डोईवाला देहरादून बनाम, "लोक सूचना अधिकारी /जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून," विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला अधिकारी देहरादून	लोक सूचना अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून, पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	25000.00	0.00				0
A-10561	11.06.2013	2013	श्री किरन शर्मा, पुत्र स्व0 श्री वजीर चन्द्र शर्मा, 48 ए अरिहन्त विहार कनखल जिला हरिद्वार बनाम, "अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हरिद्वार उत्तराखण्ड," विभगीय अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल रोशनाबाद जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हरिद्वार उत्तराखण्ड, पर 11250 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	11250.00	0.00				0
A-10443	12.06.2013	2013	श्री अशोक कुमार एडवोकेट चैम्बर नम्बर–154 जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड बनाम "अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय उपकालि0 हरिद्वार" विभागीय अपीलीय अधिकारी /अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल रोशनाबाद जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड नगरीय उपकालि0 हरिद्वार पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	25000.00	0.00				0

A-10310	05.06.2013	2013	श्री रविकान्त गुप्ता, 95 चन्द्र शेखकर मार्ग माया कुण्ड ऋषिकेश जिला देहरादून बनाम ''लोक सूचना अधिकारी /उप खण्ड अधिकारी प्रथम ऋषिकेश जिला देहरादून,'' विभागीय अपीलीय अधिकारी अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड शैल विहार ऋषिकेश जिला देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /उप खण्ड अधिकारी प्रथम ऋषिकेश जिला देहरादून, पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	25000.00	0.00		WP-1584(M/S)/2013] IC Order dated 05/06/2013		0
C-7907	10.06.2013	2013	श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता, द्वारा श्री बी0पी0 आनन्द मकान नम्बर 113–1, नालापानी रोड पोस्ट रिस्पना तहसील एवं जिला देहरादून, ''लोक सूचना अधिकारी समाज कल्याण निदेशालय हल्द्वानी जिला नैनीतल,'' विभागीय अपीलय अधिकारी निदेशक समाज कल्याण निदेशालय हल्द्वानी जिला नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी /समाज कल्याण निदेशालय हल्द्वानी जिला नैनीताल पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	10000.00	0.00				0
A-11211	14.06.2013	2013	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष, आर0टी0आई0 मिशन उत्तराखण्ड 104, ईश्वर विहार रायपुर रोड देहरादून, ''लाक सूचना अधिकारी /अनु सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून'' सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहानुपर रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /अनु सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	25000.00	0.00				0
A-11519	19.07.2013	2013	श्री सन्तोष प्रसाद सती उत्तराखण्ड शंखनाद मासिक पत्रिका कलश होटल निकट डाकघर गोपेश्वर चमोली ''लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान गोपेश्वर चमोली'' विभागीय अपीलीय अधिकारी/कार्यालय अधिशासी अभियन्ता जल सस्थान गोपेश्वर चमोली	लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान गोपेश्वर चमोली पर 3750 की शास्ति आरोपित की गयी है।	3750.00	0.00			चालान संख्या 47 दिनांक 11 अक्टूबर 2013 के द्वारा जमा कर दिया गया है।	3750
A-10550	09.07.2013	2013	श्री अनिल कुमार वर्मा, लाल मन्दिर कालोनी, ज्वालापुर जिला हरिद्वार ''लोक सूचना अधिकारी /कलेक्ट्रेट हरिद्वार'' विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर जिला मजिस्टेट (प्रशासन), हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/ कलेक्ट्रेट हरिद्वार पर 25000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000.00	0.00				0

A-10275	17.07.2013	2013	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री राजाराम, ग्रान्ट आरकेडिया टी स्टेट वनियावाला पोस्ट प्रेमनगर देहरादून ''लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय जिला अधिकारी देहरादून'' विभागीय अपीलीय अधिकारी/ जिला अधिकारी, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी / जिला अधिकारी कार्यालय देहरादून पर 5000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00	0.00			कार्यवाही गतिमान है	0
A-10913	09.07.2013	2013	श्री राजीव दुआ, दुकान नम्बर 1, जैन शर्मशाला, निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर जिला हरिद्वार बनाम ''अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय हरिद्वार,'' अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितण मण्डल रोशनाबाद जिला हरिद्वार	मुख्य अभियन्ता, वितरण गढ़वाल क्षेत्र उपाकालि 120 हरिद्वार रोड देहरादून पर 25000 की शास्ति आरोपित की गयी है तथा विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गयी है।	25000.00	0.00	DA			0
A-11138	18.07.2013	2013	श्री पुनीत मोहन अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मदन मोहन अग्रवाल मौ0 खालसा, निकट मुशी राम का चौराहा, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री बी0एल0आर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उप जिला अधिकारी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री बी0एल0आर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल पर 2,250 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	2250.00	0.00				0
A-10887	29.07.2013	2013	श्री जगजीत कौर पत्नी श्रीमती हरभजन सिंह, एफ–25, आई.आई.पी. कालोनी, मोहकमपुर जिला देहरादून उत्तराखण्ड, ''सर्वे नायब तहसीलदार सेलाकुई देहरादून उत्तराखण्ड,'' तहसीलदार विकास नगर जिला देहरादून ''लोक प्राधिकारी जिलाधिकारी देहरादून''	लोक सूचना अधिकारी, सर्वे नायब तहसीलदार सेलाकुई देहरादून एवं समतुल्य लोक सूचना अधिकारी सर्वे लेखपाल पर 5000–5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	10000.00	0.00				0
A-10513	02.07.2013	2013	श्री रोहिताश सिंह पुत्र श्री शोरण सिंह ग्राम सिकन्दरपुर मवाल पोस्ट आफिस मुण्डलाना तहसील रूडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ''सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूड़की ग्रामीण, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड'' अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूड़की, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड रूड़की ग्रामीण, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	10000.00	0.00				0

A-8816	26.09.2013	2013	श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जी एच–255, नेहरू कालोनी देहरादून लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड पर 10000 की शास्ति आरोपित की जाती है।	10000.00	0.00				0
A-9730	9-Oct-13	2013	श्री बलबीर सिंह पुत्र बख्शीश सिंह ग्राम कनकटा पोस्ट सुभाषनगर तहसील गदरपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड "लोक सूचना अधिकारी /नायब तहसीलदार गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर," विभागीय अपीलय अधिकारी/उप जिला अधिकारी बाजपुर कैम्प गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर	लोक सूचना अधिकारी /नायब तहसीलदार गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, पर 25000 की शास्ति अरोपित की जाती है।	25000.00	0.00			पत्रांक 1304/20 दिनांक 10.9. 2013 के अनुसार सूचना आयोग के खाता संख्या–0010608 00 में समायोजि किया जा चुका है।	25000
A-9933	26-09-2013	2013	श्री सुधीर गोयल निवासी–21 नेहरू कालोनी देहरादून, लोक सूचना अधिकारी कार्यालय जिला अधिकारी देहरादून, "विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला अधिकारी देहरादून" लोक सूचना अधिकारी जिला सूचना अधिकारी देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /जिला सूचना अधिकारी पर 3000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है.	3000	3000.00				0
A-10033	28-10-2013	2013	श्री राजेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता मार्फत श्री बी.बी. आनन्द मकान नम्बर–113, नालापानी रोड पोस्ट रिस्पना देहरादून "लोक सूचना अधिकारी /कुमाऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, उत्तराखण्ड," विभागीय अपीलय अधिकारी/कुमाऊ विश्वविद्यालय नैनीताल,	लोक सूचना अधिकारी /कुमाऊ विश्वविद्यालय नैनीताल, 3000 रूपये की क्षतिपूर्ति की गयी है।	0.00	3000.00				0
A-10348	8-Jul-13	2013	श्री देवी प्रसाद पाण्डेय ई–ब्लाक सरस्वती विहार मार्फत भण्डारी प्रोभीजन स्टोर अजबपुर खुर्द देहरादून लोक सूचना अधिकारी /जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय देहरादून, "विभागीय अपीलीय अधिकारी/जिला अधिकारी, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय देहरादून उत्तराखण्ड पर 10000 रूपये की शास्ति अरोपित की गयी है।	10000.00	0.00				0

A-10509	24-10-2013	2013	श्री बृज भूषण, एडवोकेट सिविल कोर्ट चैम्बर नम्बर–148, तहसील परिसर रूड़की जिला हरिद्वार लोक सूचना अधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, जिला हरिद्वार, "विभागीय अपीलीय अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार"	लोक सूचना अधिकारी /जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, जिला हरिद्वार,पर 5000 रूपये की शास्ति अरोपित की जाती है।	5000.00	0.00				0
A-10550	20-08-2013 Antrim Order	2013	श्री अनिल कुमार वर्मा, लाल मन्दिर कालोनी, ज्वालापुर जिला हरिद्वार "लोक सूचना अधिकारी /कलेक्ट्रेट हरिद्वार" विभागीय अपीलीय अधिकारी/अपर जिला मजिस्टेट (प्रशासन), हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी /कलेक्ट्रेट हरिद्वार, पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	25000.00	0.00				0
A-10743	24-09-2013	2013	श्री जयपाल सिंह, सम्पादक "हिन्दुस्तान बोल रहा है" पत्रिका, 31 कर्जन रोड देहरादून, "लोक सूचना अधिकारी /समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून" सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून पर 10000 रूपये की शास्ति अरोपित की जाती है।	10000.00	0.00				0
A-11010	19-09-2013	2013	श्री योगेश चौहान पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह चौहान ग्राम रोहालकी किशनपुर बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड "लोक सूचना अधिकारी /प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय इण्टर कालेज रोहालकी बहादराबाद जिला हरिद्वार," विभागीय अपीलीय अधिकारी/ प्रबंधक राष्ट्रीय इण्टर कालेज रोहालकी बहादराबाद जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी /प्रधानाचार्य, राष्ट्रीय इण्टर कालेज रोहालकी बहादराबाद जिला हरिद्वार, पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	5000	5000				0
A-11161	30-09-2013	2013	श्री सुधीर गोयल सी–21 नेहरू कालोनी देहरादून लोक सूचना अधिकारी /कलेक्ट्रेट देहरादून उत्तराखण्ड, "विभागीय अपीलीय अधिकारी/ जिला अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड"	लोक सूचना अधिकारी /कलेक्ट्रेट देहरादून उत्तराखण्ड,25000 हजार रूपये की शास्ति ओरोपित की जाती है।	25000.00	0				0
A-11202	30-10-2013	2013	श्री मनोज कुमार भट्ट 12 वसन्त विहार फेज–2, देहरादून उत्तराखण्ड– 248006 "लोक सूचना अधिकारी /मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून," विभागीय अपीलीय अधिकारी/ निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढवाल	लोक सूचना अधिकारी /मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति अरोपित की गयी है	5000.00	0				0

A-11316	9-Nov-13	2013	श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण लाल जिलाध्यक्ष, देहरादून राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कृति मंच, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हयूमन राइट्स फारम,एच–255 नेहरू कालोनी देहरादून "लोक सूचना अधिकारी /अनु सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून," विभागीय अपीलीय अधिकारी/ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /अनु सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून,पर 10000 रूपये की शास्ति अरोपित की जाती है।	10000.00	0				0
A-11765	10-Nov-13	2013	श्री रघुनाथ सिंह नेगी पूर्व उपाध्यक्ष, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, अस्पताल रोड विकास नगर देहरादून "लोक सूचना अधिकारी /भूतत्व एवं खनिकम इकाई उद्याग निदेशालय उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी पोस्ट बडासी रायपुर थानो रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /भूतत्व एवं खनिकम इकाई उद्याग निदेशालय उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी पोस्ट बडासी रायपुर थानो रोड देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है	5000.00	0				0
A-11950	25-10-2013	2013	श्री भूपेन्द्र कुमारजिलाध्यक्ष, राष्टीय सामाजिक न्याय कृति मंच एच–255 नेहरू कोलोनी देहरादून उत्तराखण्ड "लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, दक्षिण, उत्तराखण्ड जल संस्थान, 32 राजपुर रोड देहरादून," विभागीय अपीलीय अधिकारी/ महाप्रबंधक मुख्यालय उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन बी ब्लाक नेहरू कालोनी देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, दक्षिण, उत्तराखण्ड जल संस्थान, 32 राजपुर रोड देहरादून,पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	5000.00	0				0
A-12009	10-Oct-13	2013	श्री निकेत सिंघलसी–32 शास्त्री नगर मेरठ "लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, जिला नैनीताल," विभागीय अपीलीय अधिकारी/ निदेशक, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, जिला नैनीताल.	लोक सूचना अधिकारी /कार्यालय निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर, जिला नैनीताल,पर 9500 रूपये की शास्ति अरोपित की गयी है।	9500.00	0				0
A-12105	10-Nov-13	2013	श्री रघुनाथ सिंह नेगी पूर्व उपाध्यक्ष, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, अस्पताल रोड विकास नगर देहरादून "लोक सूचना अधिकारी /भूतत्व एवं खनिकम इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी पोस्ट बडासी रायपुर थानो रोड देहरादून," विभागीय अपीलीय अधिकारी/ भूतत्व एवं खनिकम इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी पोस्ट बडासी रायपुर थानो रोड देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /भूतत्व एवं खनिकम इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	5000.00					0

A-12167	27-09-2013	2013	श्री बल्देव सिंह रन्घवा, सचिव, उत्तराखण्ड प्रदेश, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार एवं अपराध निवारण परिषद उत्तराखण्ड कैम्प कार्यालय राम राज रोड पहाड़ी कालोनी, अली गैस वेल्डिंग वर्कशाप बाजपुर तहसील पोस्ट बाजपुर जिला उधम सिंह नगर "लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद किच्छा जिला उधम सिह नगर उत्तराखण्ड" उप जिला अधिकारी रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद किच्छा जिला उधम सिह नगर उत्तराखण्ड उप जिला अधिकारी रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 3000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है	3000.00	0				0
A-12198	23-10-2013	2013	श्री दयाकिशन भट्ट, पुत्र श्री पूर्णानन्द भट्ट, ग्राम बालातड़ी, पोस्ट कमद, विकास खण्ड एवं तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ "लोक सूचना अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ उत्तराखण्ड" विभागीय अपीलीय अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ उत्तराखण्ड पद 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00	0				0
A-12360	23-10-2013	2013	श्री हैदर अली पुत्र श्री अल्लाउद्दीन निवासी ग्राम बसेंडी खादर पोस्ट एवं तहसील लक्सर जिला हरिद्वार "लोक सूचना अधिकारी /ग्राम प्रधान , ग्राम पंचायत बसेड़ी खादर, खण्ड विकास लक्सर, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड," विभागीय अपीलय अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी /ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बसेड़ी खादर, खण्ड विकास लक्सर, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000.00	0				0
A-12485	24-10-2013	2013	श्री खिदमद सिंह पुत्र श्री कमल सिंह ग्राम व पोस्ट सिंगूणी, तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी पट्टी धनारी "लोक सूचना अधिकारी /प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, उत्तरकाशी," विभागीय अपीलीय अधिकारी/वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी /प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, उत्तरकाशी पर 25000 रूपये की शासित आरोपित की गयी है।	25000.00	0				0
C-8205	29-10-2013	2013	श्री लखविन्दर सिंह पुत्र. श्री सोला सिंह रमपुरा काजी पोस्ट केलाखेड़ा, "लोक सूचना अधिकारी उप खण्ड अधिकारी विद्युतवितरण खण्ड उप खण्ड बाजपुर जिला उधम सिंह नगर" विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री अनिल वर्मा अधिशासी अभियन्ता विद्युंत वितरण खण्ड बाजपुर जिला उधम सिंह नगर	लोक सूचना अधिकारी उप खण्ड अधिकारी विद्युत वित्रण खण्ड उप खण्ड बाजपुर जिला उधम सिंह नगर पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	10000.00	0				0

C-8226	10-Jul-13	2013	श्री रमेश चन्द्र खण्डूडी पु स्व0श्री सत्य प्रसाद खण्डड्डी, ग्राम सीत पट्टी चलस्यूं श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड ''लोक सूचना अधिकारी प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत स्वीत विकास खण्ड खिर्सू गढ़वाल'' विभागीय अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी खिर्सू गढ़वाल	ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत स्वीत विकास खण्ड खिर्सू गढ़वाल पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000.00	0				0
A-9759	8-Jan-13	2013	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री चण्डी प्रसाद ग्राम खसियापुर अलीगंज रोड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड ''लोक सूचना अधिकारी/ उप जिला अधिकारी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड'' विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला अधिकारी उधम सिह नगर उत्तराखण्ड	उप जिला अधिकारी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 10000 रूपये की शास्ति अरोपित की जाती है्	10000.00	0				0
A-11422	10.09.2013	2013	श्री मनोहर सिंह (एडवोकेट), जिला एवं न्यायालय रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड बनाम ''अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर,'' उप जिला अधिकारी रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड ,लोक सूचना अधिकारी/	लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	250000.00	0		WP No. 2730(M/S)/2013		0
A-11298	22.10.2013	2013	श्री जयपाल सिंह, सम्पादक, हिन्दुस्तान बोल रहा है, पत्रिका, 31 कर्जन रोड देहरादून उत्तराखण्ड वनाम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून उत्तखण्ड	लोक सूचना अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, उत्तराखण्ड शासन देहरादून उत्तखण्ड पर 25000 रूपये का दण्ड आरोपित किया जाता है ।	25000.00	0				0
A-10662	27.09.2013	2013	श्री रतन मणि डोभाल, 51/2, गंगा विहार कालोनी पोस्ट साधुबेला भूपतवाला हरिद्वार, ''लोक सूचना कलेक्ट्रेट हरिद्वार उत्तराखण्ड,'' अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), हरिद्वार	कलेक्ट्रेट हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 25000 हजार रूपये की शास्ति एवं 5000 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की जाती है।	25000.00	5000			बैंक ड्राफ्ट संख्या 8055463 दिनांक 11.12. 2013 के द्वारा 5000 रूपये की क्षतिपर्ति जमा कर है।	5000
A-12435	13.11.2013	2013	श्री सतीश चन्द्र जैन, मकान नम्बर–105/3ए, सिविल लाईन रूड़की जिला हरिद्वार, ''लोक सूचना अधिकारी नगर निगम रूड़की जिला हरिद्वार,'' मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम रूड़की जिला हरिद्वार	नगर निगम रूड़की जिला हरिद्वार पर 10,000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है	10000	0				0

A-12612	05.12.2013	2013	श्री डी0एस0 रावत पुत्र स्व0 श्री बी0एस0 रावत, शकुन्तला सदन, नियर डायनासोर पार्क अजबपुर कलां देहरादून बनाम ''लोक सूचना अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार'' विभागीय अपीलीय अधिकारी निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल पौड़ी	लोक सूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार पर 10,000 रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	10000	0				0
A-9774	01.08.2013	2013	श्रीमती भगवती गोस्वामी प्र0अ0 रा0प्रा0वि0 अमोली क्षेत्र गरूड जिला बागेश्वर, ''लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी क्षेत्र गरूड, जिला बागेश्वर''	खण्ड शिक्षा अधिकारी क्षेत्र गरूड, जिला बागेश्वर पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	5000	0				0
A-9940	20.12.2013	2013	श्री देवेश चन्द्र त्यागी, सहायक अध्यापक, पंतनगर इण्टर कालेज पंतनगर उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य पंतगनर इण्टर कालेज पंतनगर उधम सिंह नगर	प्रधानाचार्य, पंतगनर इण्टर कालेज, पंतनगर, उधम सिंह नगर पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	10000	0			पत्रांक संख्या 414 दिनांक 29/3/2014 के द्वारा जमा कर दी गयी है	10000
A-10444	29.07.2013	2013	श्री ऋषिपाल सिंह बिष्ट, अधिवक्ता चैम्बर नम्बर 43 सी0जे0एम0 कोर्ट कम्पाउन्ड, देहरादून उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/उप जिला अधिकारी, लैन्डाउन, गढ़वाल	उप जिला अधिकारी, लैन्डाउन, गढ़वाल पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	10000	0				0
A-10781	24.7.2013	2013	श्री प्रकाश चन्द धीमान, सेवानिवृत शिक्षक सेवा समिति कार्यालय 391 श्यामनगर, सुनहरा रूडकी जिला हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक हरिद्वार	जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक, हरिद्वार 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	5000	0				0
A-10802	29.7.2013	2013	श्री लक्ष्मी चन्द मार्य पुत्र स्व0 श्री अमीर चन्द, निवासी 22 बलबीर रोड देना बैंक के सामने देहरादून, लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सी0एच0सी0 रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सी0एच0सी0 रायपुर देहरादून उत्तराखण्ड 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	5000	0				0
A-11016	01.08.2013	2013	श्री सहदेव पुत्र श्री मामराज ग्राम आसफ नगर मंगलौर जिला हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी नारसन हरिद्वार उत्तराखण्ड	खण्ड शिक्षा अधिकारी नारसन हरिद्वार उत्तराखण्ड 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	5000	0				0
A-11246	23.07.2013	2013	श्री अनुपम पुण्डीर, मार्फत श्री प्रध्युमन कृषाली, I–ए/1 एम0 ब्लाक नगर पालिका कालोनी, नई टिहरी गढ़वाल, लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, नई टिहरी गढ़वाल	जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, नई टिहरी गढ़वाल पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	5000	0				0

A-11369	09.01.2014	2013	श्री विनोद गुम्बर (वीनू) पूर्व सदस्य राज्य यूवा कल्याण परिषद उत्तराखण्ड किड्जी स्कूल एफ–55, आदर्श कालोनी सनातन गर्ल्स डिग्री कालेज के पास रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय निदेशक खेल विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	कार्यालय निदेशक खेल विभाग उत्तराखण्ड देहरादून पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	10000	0				0
A-11423	24.10.2013	2013	श्री विजय महर, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी शिवपुरी कालोनी डाकपत्थर देहरादून उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/तहसीलदार (खनिज) देहरादून उत्तराखण्ड	तहसीलदार (खनिज) देहरादून उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	25000	0				0
A-11924	23.12.2013	2013	श्री सहताब पुत्र लियाकत अली, इस्लामनगर ज्वालापुर जनपद हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी/उपायुक्त प्रशासन ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी गढ़वाल	उपायुक्त प्रशासन ग्राम्य विकास विभाग पौड़ी गढ़वाल पर 6000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	6000	0				0
A-11939	11.12.2013	2013	श्री संतोष सिंह बिष्ट, ग्राम किसनपुर पो0 मानपुर जिला उत्तरकाशी, लोक सूचना अधिकारी/प्रधान, ग्राम पंचायत किशनपुर, विकासखण्ड भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी	प्रधान, ग्राम पंचायत किशनपुर, विकासखण्ड भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	25000	0				0
A-11955	23.11.2013	2013	श्री प्रमोद कुमार डोभाल, केन्द्रीय प्रचार मंत्री निवास प्रेमपुर माफी निकट नाग मन्दिर कौलागढ देहरादून लोक सूचना अधिकारी/वक्फ निरीक्षक, वक्फ बोर्ड उत्तराखण्ड शिमला बाईपास देहरादून	वक्फ निरीक्षक, वक्फ बोर्ड उत्तराखण्ड शिमला बाईपास देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	25000	0				0
A-11960	23.11.213	2013	श्री प्रमोद कुमार डोभाल, केन्द्रीय प्रचार मंत्री निवास प्रेमपुर माफी निकट नाग मन्दिर कौलागढ देहरादून लोक सूचना अधिकारी/वक्फ निरीक्षक, वक्फ बोर्ड उत्तराखण्ड शिमला बाईपास देहरादून	वक्फ निरीक्षक, वक्फ बोर्ड उत्तराखण्ड शिमला बाईपास देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	25000	0				0
A-11980	31.12.2013	2013	श्री धर्मवीर सिंह, पंजाब सिंध क्षेत्र, गुरद्वारे के पीछे कनखल, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादराबाद जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	5000	0				0
A-11997	06.11.2013	2013	ठाकुर मनोज कुमार सम्पादक, दैनिक ठाकुर साहब टाईम्स, ब्रहम आत्म भवन, श्रवणनाथ नगर नीलम होटल वाली गली हरिद्वार उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट हरिद्वार	प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट हरिद्वार पर 7500 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	7500	0				0

A-12106	25.11.2013	2013	श्री सोमवीर पुत्र श्री रतीराम, निवासी ग्राम निजामपुर ब्लाक नारसन हरिद्वार उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निजामपुर विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निजामपुर विकास खण्ड नारसन जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	5000	0				0
A-12111	28.11.2013	2013	श्री ओम प्रकाश चौधरी, भगवानपुरा, पुष्कर मन्दिर मर्ग ऋषिकेश जिला देहरादून, लोक सूचना अधिकारी/कलेक्ट्रेट देहरादून	पेशकार, जो तहसीलदार सदर के रूप में कार्यरत है पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	5000	0				0
A-12124	Antrim 02.01.2014	2013	श्री तसब्बर अली फारूखी, पुत्र मोहम्मद शफी वार्ड नम्बर–3, रहीम नगर खटीमा जिला उधम सिंह नगर लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून	उप जिला अधिकारी, विकास नगर, देहरादून पर पर 2750 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	2750	0				0
A-12208	12.11.2013	2013	श्री सौराज सिंह, ग्राम प्रधान पुत्र श्री रूहल्ला, मन्नाखेड़ी पोस्ट मंगलौर तहसील रूड़की हरिद्वार उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार मंगलौर, तहसील रूड़की	नायब तहसीलदार मंगलौर, तहसील रूड़की पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	25000	0		WP-2052 (M/S)2014		0
A-12315	20.11.2013	2013	श्री पुलम सिह पवांर, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मन्दिर ज्ञानसू उत्तरकाशी, लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी गोपन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग गुरूकुल कांगड़ी हरिद्वार उत्तराखण्ड	अनुभाग अधिकारी गोपन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	5000	0		रिट पिटीशन संख्या 345/2014 द्वारा		0
A-12422	31.12.2013	2013	श्री पूरन चन्द्र मेलकानी, पुत्र स्व0 श्री राम दत्त मेलकानी, पाण्डेखोला अल्मोड़ा, लोक सूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	5000	0				0
A-12443	20.01.2014	2013	श्री अख्तर हसनैन रिजवी, निवासी गली नम्बर–5, चक्कर की मिलक, सिविल लाईन मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश– 244001, लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	समतुल्य लोक सूचना अधिकारी प्रधानाध्यापक रा0प्रा0 वि0 ओसपुर विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000	0				0
A-12604	23.11.2013	2013	श्री हेमन्त सिंह जसवाल, 36 चीड़ों वाली कण्डोली, पोस्ट कण्डोली राजपुर रोड देहरादून, लोक सूचना अधिकारी/नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सहारनपुर रोड देहरादून	नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	10000	0				0

A-12614	26.11.2013	2013	श्री कमल सिंह सज्वाण, पुत्र स्व0 श्री इन्द्रसिंह सज्वाण, ग्राम कामदा पोस्ट बनगांव, तहसील एवं विकास खण्ड चिन्याली सौड, जिला उत्तरकाशी, लोक सूचना अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी चिन्यालीसौड़, जिला उत्तरकाशी	खण्ड शिक्षा अधिकारी चिन्यालीसौड़, जिला उत्तरकाशी पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	25000	0				0
A-12636	10.12.2013	2013	श्री लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, पूर्व प्रधान, ग्राम व पोस्ट बूंगातल्ला, रिखणीखाल, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/उप जिला अधिकारी, लैन्सडौन, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड	उप जिला अधिकारी, लैन्सडौन, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये में शास्ति आरोपित की गयी है.	25000	0				0
A-12642	25.11.2013	2013	श्री भगवत सिंह, एफ–2963, नेताजी नगर नई दिल्ली–110023, लोक सूचना अधिकारी/पटवारी, क्षेत्र खाल्यों, भरसोली, पो0 देघाट, विकास खण्ड स्याल्दे, द्वारा तहसीलदार भिकियासैण, जिला अल्मोड़ा	पटवारी, क्षेत्र खाल्यों, भरसोली, पो0 देघाट, विकास खण्ड स्याल्दे, पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	10000	0				0
A-12653	18.11.2013	2013	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, प्रबंधक–ट्रस्टी धर्मशाला माई गिदा कुंवर बरेली ट्रस्टी सुभाषघाट हरिद्वार उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इ0), प्रथम तल, नियर आई0एस0बी0टी0, सहारनपुर रोड, क्लेमनटाउन देहरादून	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इ0), प्रथम तल, नियर आई0एस0बी0टी0, सहारनपुर रोड, क्लेमनटाउन देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	5000	0				0
A-12774	29.11.2013	2013	श्री राजेश कुमार पुत्र फाती राम, ग्राम आईवाला पोस्ट ढालीपुर विकास नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड–248142, लोक सूचना अधिकारी/परियोजना पबंधक, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल परियोजना, देहरादून, उत्तराखण्ड	परियोजना पबंधक, जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, स्वजल परियोजना, देहरादून, उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	5000	0				0
A-12789	12.12.2013	2013	श्री भगवान किशोर एडवोकेट, चैम्बर नम्बर–198, सिविल कोर्ट रामनगर रूड़की जिला हरिद्वार, लोक सूचना अधिकारी/उप जिला अधिकारी रूड़की जिला हरिद्वार	उप जिला अधिकारी, रूड़की, जिला हरिद्वार पर 2000 उ रूपये की शस्ति आरोपित की गयी है.	2000	0				0
A-12822	23.12.2013	2013	श्री भगवान चन्द्र पुत्र स्व0 श्री नारायण चन्द, ग्राम बिरिया मझोला, कोरंगघाट, पोस्ट बिरिया, तहसील खटीमा, जिला उधम सिंहनगर उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	5000	0				0

A-12883	07.01.2014	2013	श्री बालेश कुमार पुत्र स्व0 श्री नकलीराम,348/2ए, चावमण्डी रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/ सहायक चकबन्दी अधिकारी नियम 109 रूड़की जिला हरिद्वार	सहायक चकबन्दी अधिकारी, नियम 109, रूड़की, जिला हरिद्वार पर 5000 रूपये की शस्ति आरोपित की गयी है.	5000	0						0
A-12897	31.12.2013	2013	श्री विजय सिंह वर्मा, सदस्य भारतीय किसान क्लब, ग्राम सुल्तानपुर साबतवाली पोस्ट झबरेड़ा, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड, लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, उपाकालि रूड़की, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण, उपाकालि रूड़की, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	5000	0						0
A-12952	15.01.2014	2013	श्री राजा राम भट्ट, प्रधानाध्यापक राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़ीश्यामपुर पोस्ट सत्यनारायण मन्दिर ऋषिकेश जिला देहरादून, लोक सूचना अधिकारी/उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, 5 / 1 अंसारी मार्ग देहरादून उत्तराखण्ड	उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, 5 / 1 अंसारी मार्ग देहरादून उत्तराखण्ड पर 24000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	24000	0						0
A-13089	10.01.2014	2013	श्री नृपेन्द्र चौधरी, (एड0) सिविल कोर्ट परिसर काशीपुर जिला उधम सिंह नगर, लोक सूचना अधिकारी/उप निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी /प्राचार्य डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज देहरादून, उत्तराखण्ड	उप निदेशक, उच्च शिक्षा हल्द्वानी पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	10000	0						0
A-13372	23.01.2014	2013	श्री देवेन्द्र ध्यानी, द्वारा श्री भगवत प्रसाद बिजलवाण, ग्राम बांदावाली, पो0 ओ0 सहस्त्रधारा, देहरादून, लोक सूचना अधिकारी/ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, डांडा लखोण्ड देहरादून	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, डांडा लखोण्ड देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	5000	0						0
A-13324	22.01.2014	2013	श्री मनोहर सिंह एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर भवन रूद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड ''औषधी अनुज्ञापन प्राधिकारी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, डांडा लखोण्ड देहरादून,'' महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय देहरादून	औषधी अनुज्ञापन प्राधिकारी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, डांडा लखोण्ड देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है ।	25000	0						0
A-12124	12.02.2014 अन्तरिम आदेश	2013	श्री तसब्बर अली फारूखी, पुत्र मोहम्मद शफी वार्ड नम्बर 3, रहीम नगर खटीमा जिला उधम सिंह नगर, कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून, जिलाधिकारी देहरादून	लोक सूचना आधिकारी/कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून पर 2750 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	2750	0						0

C-7914	04.012.2013	2013	श्री नदीमउद्दीन एडवोकेट, कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड लोक सूचना अधिकारी/उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग, 1सी–लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून विभागीय अपीलीय अधिकारी/अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग 1सी–लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून	लोक सूचना अधिकारी /उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग, 1सी–लक्ष्मी रोड डालनवाला देहरादून पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000	0				0
C-8543	16.12.2013	2013	डा0 सुमित कौशिक, द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा, 37/3 शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदश "लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड रामनगर जिला नैनीताल" विभागीय अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल हल्द्वानी जिला नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड रामनगर जिला नैनीताल, पर 10000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000	0				0
C-8501	02.12.2013	2013	श्री प्रमोद कोठियाल, श्रीकोट, गंगनाली, श्रीनगर गढ़वाल लोक सूचना अधिकारी/नायब तहसीलदार श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, वि0अ0अधि0/ तहसीलदार श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड	तहसीलदार श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड पर 25000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी ।	25000	0				0
A-12363	30.01.2014	2013	श्री शशांक शर्मा, एडवोकेट, मार्फत एडवोकेट एल.पी. बहुगुणा चैम्बर नम्बर–27 कोर्ट कम्पाउण्ड ऋषिकेश जिला देहरादून, "निदेशालय समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल" निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल	लोक सूचना अधिकारी/निदेशालय समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड, पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है	5000	0				0
A-12448	16.01.2014	2013	श्री योगेश कुमार गुप्ता, पुत्र श्री रामानन्द गुप्ता, निवासी ग्राम व पोस्ट सेलाकुई जिला देहरादून "लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार विकास नगर जिला देहरादून" तहसीलदार तहसील विकासनगर, जिला देहरादून	लोक सूचना अधिकारी कार्यालय तहसीलदार विकास नगर जिला पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000	0				0
A-12348	30.01.2014	2013	श्री संजय कुमार पुत्र श्री देवी दास, निवासी मकान नम्बर 2548, आदर्श विहार, झाड़ोवाला वार्ड नम्बर–2, नजदीक केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय के खेल के मैदान के पास हरबर्टपुर जिला देहरादून "उप जिला अधिकारी कार्यालय विकास नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड जिला अधिकारी देहरादून	उप जिला अधिकारी कार्यालय विकास नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड पर 8000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	8000	0				0

A-12314	24.01.2014	2013	श्री एल0डी0 डोभाल, 15/90 चकराता रोड पोस्ट विकास नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड प्रशासनिक अधिकारी तहसील विकास नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड तहसीलदार विकास नगर देहरादून उत्तराखण्ड	प्रशासनिक अधिकारी तहसील विकास नगर जिला देहरादून उत्तराखण्ड पर 20000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी हैं	20000	0				0
A-13350	17.01.2014	2013	श्री बिलेन्द्र कुमार पुत्र श्री अतर सिंह , ग्राम गढ़ पोस्ट गढ़मीरपुर विकास खण्ड बहादराबाद तहसील व जिला हरिद्वार प्रधान /ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गढ़ विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार	प्रधान /ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गढ़ विकास खण्ड बहादराबाद जिला हरिद्वार पर 1000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	1000	0				0
A-12646	31.01.2014	2013	श्री श्याम लाल टम्टा, स0अ0, हाल मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय नैनीताल स्थित भीमताल नायब तहसीलदार धारी जिला नैनीताल तहसीलदार धारी जिला नैनीताल	नायब तहसीलदार धारी जिला नैनीताल पर 2000 रूपये की शास्ति अरोपित की गयी है।	2000	0				0
A-12450	16.01.2014	2013	श्री ताहिर अहमद, ग्राम एवं पोस्ट केदारवाला तहसील विकास नगर जिला देहरादून, उप जिला अधिकारी विकास नगर जिला देहरादून, अपर जिला अधिकारी प्रशासन जिला देहरादून उत्तराखण्ड	उप जिला अधिकारी, विकास नगर, जिला देहरादून पर 12500 रूपये की शास्ति आरोपित की गय है।	12500	0				0
A-11865	05.02.2014	2013	श्री भरत सिंह धीमान, ग्राम व पोस्ट भगवन्तपुर देहरादून उत्तराखण्ड, सम्बधित लेखपाल द्वारा तहसीलदार विकास नगर जिला देहरादून, राजस्व निरीक्षक नाजिर तहसील विकास नगर देहरादून	सम्बधित लेखपाल द्वारा तहसीलदार विकास नगर जिला देहरादून पर 5000 रूपये की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000	0				0
A-11217	31.01.2014	2013	श्री प्रवीन कुमार जैन, बी0ए0 इन्टरनेशनल नम्बर–181, रायपुर भगवानपुर रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड बनाम लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि वि0वि0 खण्ड ग्रामीण रूड़की जिला हरिद्वार विभागीय अपीलीय अधिकारी उप महाप्रबंधक उपाकालि0 वि0मि0 रूड़की जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड	लोक सूचना अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि वि0वि0 खण्ड ग्रामीण रूड़की जिला हरिद्वार पर 5000–रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है।	10000	0				0
C-8580	07.02.2014	2013	श्री सुधीर गोयल, निवासी –21 नेहरू कॉलोनी देहरादून उत्तराखण्ड बनाम कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून	कार्यालय जिला अधिकारी देहरादून पर प्रशासनिक कार्रवाई किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी है।	0	0	DA			0